

पंजीयन प्रमाण पत्र**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल**

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
E-Mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone : 07552427091, Fax - 0755 2427097
विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीयन हेतु मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के नियम 4(6) के अधीन

पंजीयन क्रमांकI/510146/2026

दिनांक26-05-2026

मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ग्रेसलेण्ड हेबिटेड्स सीरिन प्रायवेट लिमिटेड निवासी 101, स्कीम नंबर 114/2, आनंद निकेतन, ए.बी.रोड, विजय नगर, जिला इंदौर राज्य मध्यप्रदेश को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थात:-

- 1 यह पंजीयन, जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, मध्य प्रदेश राज्य में विधिमान्य होगा।
- 2 टाउनशिप के विकास की अनुमति, प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक रूप से साधिकार समितिसे प्राप्त करनी होगी।
- 3 मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के अधीन प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त किया जावेगा।
- 4 पंजीयन सम्पूर्ण राज्य के लिए विधि मान्य होगा।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल